

मं एवं अधिभाषको
महाश्वर

345

221

527

राजस्थान मंडल ज्वालिपर सर्किट डोर रीवा
न्यायालय श्री मान

851
23-12-14

निगरानी 88-III



Rs. 20/-

- 1: रामकृपाल गुप्ता पित ब्रिजनाथगुप्ता उम्र 70 साल
- 2: मेवलाल गुप्ता श्रुतक विधिक बारीस निम्न है:
 अ० मुस० बेवा शकुनगुप्ता पतिमेवलाल गुप्ता उम्र 65 साल
 ख० राहुलगुप्ता पिता मेवलाल गुप्ता उम्र 26 साल
 दोनों निवासी ग्रामडगडोवा प० ह० डगडोवा सीकिल
 गिर्द थानाव तहसील मऊगंज जिलारीवाम०प०

जी. रामेश्वरदास
वाराणसी दिनांक 13-12-14
प्रस्तुत किया गया।
एड के
सर्किट डोर रीवा

अपीलाधीन
निगरानीकत गिण

बनाम

- 1: जवाहरलाल पित ब्रिजभान उम्र 55 साल
 - 2: साधूलाल पित ब्रिजभान गुप्ता उम्र 53 साल
 - 3: भोला गुप्तापित ब्रिजभानगुप्ता उम्र 50 साल
 - 4: मुस० राजकुमारी पतिहिन्दलालगुप्ता उम्र 48 साल
 - 5: जगदीश पिता ब्रिजभान गुप्ता उम्र 45 साल
 - 6: मुस० मनगिरिया बेव उदयभान
 - 7: डिगनलाल पतिउदयभान
 - 8: सुदामा लाल पित उदयभान
 - 9: मिश्रीलाल पित उदयभान
- सभी निवासी ग्रामडगडोवा तहसील मऊगंज जिलारीवाम०प०

नैर निगरानीकत गिण

क्रमांक 4217
राज प्राप्त
12-12-14
लेबर

क्रमशः 2

रामकृपालगुप्ता

राजस्वनिरीक्षण विदित हसील मज्जज द्वारा किये
गये नक्सा तमीम के बिरुद्ध म०प्र० भू रा०सं०
की धारा 50 के अधीन निगरानी या बिका

मन्थवर,

निगरानीके आधार निम्न है:

- 1: यह कि निगरानीकर्ता और गैर निगरानीकर्तागण एक ही परिवार के सदस्य है एवं दोनों की धल अवल सम्पत्ति मौजूद है
- 2: यह कि निगरानीकर्ता द्वारा भूमि अंतरा नम्बर 793 में से 0-049 एअजमीन रामबदन पिता जमुना पुसादनिवासी ग्राम डगडौवा से दिनांक 26/3/99 को 12000 रुपये में क्रय किया था क्रय दिनांक से उक्तजमीन पर निगरानीकर्ता का कब्जा दखल बला आ रहा है
- 3: यह कि उक्त आराजी नम्बर में जो अंश रकबा बिक्री किया गया और जिस प्रकार बिक्रयपत्र में चौहददी बनी थी चौहददी के अनुसार ही निगरानीकर्तागण का मौके पर कब्जा दखल बला आ रहा है
- 4: यह कि भूमि नम्बर में 793 में सर्वप्रथम रामकृपाल गुप्ता द्वारा ही क्रय किया गया था इसलिये उक्त बटा नम्बर एवं तमीम पहले ही होना चाहिये लेकिन उक्त जमीन एन एच 7 से लगती थी एवं उक्त जमीनका मुआवजा दस लाख रुपये बना था तो गैर निगरानीकर्तागण द्वारा निगरानीकर्ता कि उक्त जमीनको अपने नाम तमीम करवाकर उक्त जमीन का मुआवजा राशि हडपने के उद्देश्य से गैर निगरानीकर्ता ने अपने नाम तमीम करवा लिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है

क्रमशः 3

रामकृपाल गुप्ता

221

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 88 वी/115 जिला रीवा

राम कृपाल गुला वगैरा विरुद्ध जवाहर लाल

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त गीरी तहसील महुआ के प्रकरण क्रमांक नकशा 80मी में पारित आदेश दिनांक 1.6.4.19 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। M0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 1.6.4.19 को कलेक्टर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	

सदस्य